फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्रकाश कुमार पुत्र संपतराज जाति लुहार निवासी फालना स्टेशन तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/२७०
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11/06/25	प्रार्थी प्रकाश कुमार के ग्राम जादरी के खसरा नंबर 337 रकबा 5.38 हैक्टर के तरमीम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार बाली से अनुशंषा सहित प्राप्त हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा सीमांकन करवाये जाने पर ज्ञात हुआ कि सेग्रीगेशन के दौरान खसरा नंबर 337 रकबा 5.38 हैक्टर की तरमीम गलत दर्ज हुई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि का रकबा मात्र 4.37 हैक्टर है, शेष 0.91 हैक्टर भूमि पडौसी खातेदार जिसके खसरा नंबर 337/1 रकबा 4.49 हैक्टर है, उनके नक्शे में दर्ज हो गई है, जिसे दुरस्त किया जाने हेतु निवेदन किया है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा से पूर्व मूल खसरा नंबर 337 का मूल रकबा 10.75 हैक्टर था जिसका जरिये नामांतरकरण संख्या 602 से निम्नानुसार बंटवाडा हुआः- 1. शांतिदेवी पत्नी संपतराज कौम लुहार हिस्सा 3/5, सुजाराम पुत्र ओटाराम, पुनाराम पुत्र अमराराम हिस्सा 1/15 कौम सीरवी, संपतराज पुत्र छोगाराम लुहार हिस्सा 1/3, खातेदार खसरा नंबर 337 रकबा 5.38 हैक्टर 2. कमला पत्नी जगदीश कौम सुनार साकिन फालना स्टेशन खातेदार, खसरा नंबर 337/2, रकबा 0.16 हैक्टर 3. सुंदरबाई पत्नी फुटरमल मेवाडा जाति कलाल, विक्रम पुत्र ओटाराम कौम देवासी, साकिन मुण्डारा खातेदार, खसरा नंबर 337/3 रकबा 1.63 हैक्टर 4. बंसतसिंह भाटी पुत्र देवीसिंह भाटी कौम राजपूत साकिन इन्द्रा कॉलोनी जोधपुर खसरा नंबर 337/1, रकबा 3.38 हैक्टर वक्त बंटवाडा राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही पाया गया परंतु मौका एवं राजस्व नक्शे की तरमीम एवं सेग्रीगेशन तरमीम में खसरा नंबर 337 रकबा 5.38 हैक्टर जो प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि है, ऑनलाईन नक्शा तरमीम में 0.91 हैक्टर कम तरमीम हुई है। अतः वर्तमान नक्शे में खसरा नंबर 337 कुल रकबा 5.38 हैक्टर की तरमीम बंटवाडा नामांतरकरण संख्या 602 की पुस्त पर की गई तरमीम अनुसार शुद्धि करने की अनुशंषा तहसीलदार बाली द्वारा की गई है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं माफिक जांच रिपोर्ट तहसीलदार बाली व ऑफिस कानूनगो बाली के अनुरूप ग्राम जादरी के खसरा नंबर 337 व 337/1 की तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है। इस आदेश से ग्राम जादरी के खसरा नंबर 337 व 337/1 का रकबा अप्रभावित रहेगा। तहसीलदार बाली व ऑफिस कानूनगो बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner